# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 10/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/291)

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

| प्रार्थी | अप्रार्थीगण |
| --- | --- |
| 1. परमीत सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर। | 1. कलवंत सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. गुरमेल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>3. जसवीर कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>4. मलकीत कौर पत्नी तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी चक झण्डेवाला तहसील व जिला मोघा पंजाब।<br>5. हरफूल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>6. अनोख सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>7. अमीर सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>8. कुलविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>9. जगदीश पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी चक सरांवा वाली नजदीक ढाणी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।<br>10. जीतो पत्नी जगमोहन सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 1 गुरूसर 20 ओ श्रीकरणपुर।<br>11. पाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>12. बघेल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>13. बलविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>14. मलकीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>15. सुखपाल कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 ओ तहसील श्रीकरणपुर।<br>16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–10.11.2022

उपस्थितः 1.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी व दलजीत सिंह बराड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या

दिनांक: 23/0.../2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:31 I
Reason: SelfAttested

——निर्णय——

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ... किया कि चक 1 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नम्बर 4, 32, 40, 5 कुल 1.769 हैक्टेयर नहरी रकबा में से प्रार्थी के नाम 0.394 हैक्टेयर नहरी रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। शेष रकबा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है, जिसमें काश्त की सहूलियत के हिसाब से प्रार्थी व सहखातेदारान ने उक्त भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में घरू बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुताबिक मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 23 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 24/1 की
0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.015 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर प्रार्थी का
कब्जा काश्त है। चक 1 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 92 के
मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर
5, 6 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.227 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 66/20 की
0.076 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 4.048 हैक्टेयर नहरी रकबा में से प्रार्थी के नाम
1349/2024 हिस्सा नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी तरह शेष रकबा प्रार्थी की
माता सिमरपाल कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 1 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता
2078 के खाता संख्या 39 के मुरब्बा नम्बर 33, 34, 52, 66/9 की कुल 8.526 हैक्टेयर भूमि
अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है,
जिसका अप्रार्थीगण द्वारा घरू बंटवारा किया हुआ है। मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 16,
24/2, 25 अप्रार्थी संख्या 4 के कब्जा काश्त में है। चक 1 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता
2078 के खाता संख्या 55 के मुरब्बा नम्बर 5, 14, 19, 36, 50, 51, 54 की कुल 8.792
हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 3,5,6 ता 15 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि मुश्तर्का
खाता की भूमि है।, जिसका अप्रार्थीगण ने घरू बंटवारा किया हुआ है। मुरब्बा नम्बर 51 के
किला नम्बर 21 ता 25 अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जा काश्त में आया हुआ है। प्रार्थी उक्त रकबा
में आने-जाने के लिए आबादी से निकलकर अप्रार्थीगण के रकबा मुरब्बा नम्बर 51 के किला
नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25 व 24 के 10 बिस्वा रकबा की
दक्षिणी बट के साथ होते हुए अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 23, 24, 1 ता 15,
17 में प्रवेश करता है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52
के किला नम्बर 23 व 24 के 10 बिस्वा रकबा की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा रास्ता
को मजूर करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पिछले 20 वर्षो से लगातार शांतिपूर्वक,
बिना रोक-टोक चला आ रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 52 की
भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता को मंजूर करवाने के लिए
प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रार्थी 13
बिस्वा रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को अपने चिपती हुई भूमि में से 13 बिस्वा भूमि देने
को तैयार है। यदि अप्रार्थीगण भूमि ना लेना चाहें तो प्रार्थी उक्त 13 बिस्वा की निर्धारित राशि
अप्रार्थीगण को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार
व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अर्ज है कि
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21
ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25 व 24 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा
रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को
जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3,9,10,13 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र
सिंह चीमा, अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दास व अप्रार्थी संख्या 5, 6,
11, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या
1,4,7,8,15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके [illegible] कार्यवाही के आदेश
दिए गए। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 11, 14 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] नहीं
कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम [illegible] कोई [illegible] कर निवेदन [illegible]
अप्रार्थी संख्या 2, 3, 9, 10, 13 की ओर से जवाब प्रार्थना [illegible] का
अप्रार्थीगण की भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। अभी तक [illegible] किसी [illegible]
किलावाईज विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए कानूनन उक्त [illegible] भी
काश्तकार का कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी पिछले 20 वर्षो से [illegible]
अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा
नम्बर 52 के किला नम्बर 24 में नहीं गया है। प्रस्तावित रास्ता वाली जगह पर अप्रार्थीगण ने
अपनी सरसों की फसल काश्त कर रखी है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी व प्रार्थी की माता की
भूमि चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 16, 17 को काश्त करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुरब्बा नम्बर 52 के उतर दिशा के चिपते मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहे पुराने रास्ते में से होकर अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में प्रवेश करता है। प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में प्रार्थी की पानी की डिग्गी व सौलर सेट लगा हुआ है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मे चल रहे रास्ता को पिछले कई वर्षो से उपयोग कर रहा है। जिन काश्तकारान का रकबा मुरब्बा नम्बर 38 मे पडता है, उन्हीं का अन्य रकबा मुरब्बा नम्बर 52 के पश्चिमी दिशा में चिपते मुरब्बा नम्बर 53 पडता है। इसलिए मुरब्बा नम्बर 38 के काश्तकार प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में से होकर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 53 में प्रवेश करते है। इसी कारण मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में चल रहे रास्ता का प्रयोग प्रार्थी द्वारा करने पर मुरब्बा नम्बर 38 के काश्तकार प्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 52 मे आने-जाने से कभी नही रोकते है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहे रास्ता का विकल्प उपलब्ध है और प्रार्थी इसका काफी अर्से से इसी रास्ता का उपयोग शांतिपूर्वक करता चला आ रहा है। जिस कारण प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर सरासर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है। जो काबिले खारिजी है। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर इनका जवाब बन्द किया गया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के क्रमांक 891 दिनांक 19.07.20239 के द्वारा प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थी के रकवा चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 16, 17, 21, 22, 23 में पंहुचने के लिए 3 विकल्प है। प्रथम विकल्पः- स्वीकृत रास्ते(पक्की सडक) से मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से होकर प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर सकता है। द्वितीय विकल्पः- स्वीकृत रास्ते(पक्की सडक) से मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मौके पर घरेलू रास्ता है। जिसके साथ-साथ विद्युत पोल है। किला नम्बर 21 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ कुंईया बनी हुई है। तृतीय विकल्पः- आबादी से निकलकर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25, 24/0.126 में से होकर प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 24 में प्रवेश कर सकता है। प्रार्थी को अपने रकबा में पंहुचने के लिए सर्वाधिक निकटतम व न्यूनतम दूरी प्रथम व द्वितीय विकल्प है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक श्रीकरणपुर की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-“ कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात [illegible] स्थितियों [illegible] अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति [illegible] किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।”

5. प्रार्थी द्वारा अपने द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 16, 17, 22, 23, 24 को काश्त करने के लिए मुरब्बा नम्बर 51 के किला [illegible] 23, 22, 21 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25,24 की दक्षिणी बट के [illegible] 2-2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया है।

6. हमने भू अभिलेख निरीक्षक एंव हल्का पटवारी की जॉच रिपोर्ट एंव फर्द मौका मय नजरी नक्शा का अवलोकन एंव अध्ययन किया। उपर्युक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 व मुरब्बा नम्बर 52 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

किला नम्बर 25,24 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा रास्ते की मांग की है। हमने प्रकरण का अध्ययन किया कि क्या उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने रकबा चक 1 ओ के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 16, 17, 22, 23, 24 को काश्त करने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं। फर्द मौका तथा नजरी नक्शे के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य 2 विकल्प उपलब्ध है। प्रथम वैकल्पिक मार्ग में स्वीकृत रास्ते(पक्की सडक) से मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में से होकर प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर सकता है। द्वितीय वैकल्पिक मार्ग में स्वीकृत रास्ते (पक्की सडक) से मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मौके पर घरेलू रास्ता है। जिससे प्रार्थी अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में प्रवेश कर सकता है। द्वितीय वैकल्पिक घरेलू रास्ते से प्रार्थी अपने रकबा में प्रवेश करता आ रहा है। प्रार्थी के द्वारा अपने रकबा में पहुंचने के लिए वैकल्पिक घरेलू रास्ता होते हुए, नये प्रस्तावित रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता मात्र सुविधा के लिए चाहा गया है। यह प्रार्थी की अत्यातिंक आवश्यकता नहीं है। धारा 251ए आरटीए में सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है और जब प्रार्थी के पास मुरब्बा नम्बर 38 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जिससे वह अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 52 में आ-जा रहे है, तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये प्रस्तावित रास्ते मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25,24 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने की मांग नहीं कर सकता है। प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 38 में चल रहे घरेलू रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए अलग से धारा 251ए आरटीए के प्रावधानों के अनुसार खातेदारों को बतौर पक्षकार संयोजित कर नया वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण फर्दमौका, नजरी नक्शा एंव रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि निकटतम अभिलिखित सरकारी रास्ते से प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई है और न ही निकटतम अभिलिखित रास्ते एंव प्रार्थी की आराजी के मध्य आने वाली आराजी के खातेदारों को प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेश:-**

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीकरणपुर राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 23/8/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:31 IST
Reason: SelfAttested